# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
# BETWEEN
# GOVERNMENT OF INDIA
# MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
# AND
# THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

## 1. PARTIES

This document elaborates an understanding between the Employees' Provident Funds Organisation [hereinafter referred as "the Responsibility Centre"] and Government of India, Ministry of Labour & Employment [hereinafter referred as "the Ministry"] for implementation of the activities of the Responsibility Centre. The Responsibility Centre is Autonomous Body under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment. The Responsibility Centre is located at Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110 066.

## 2. VISION

To reposition itself as a world class Social Security Organisation providing services of global standards through best business practices.

## 3. MISSION

To extend the reach and quality of publicly managed old-age income security programs through consistent and ever improving standards of compliance and benefit delivery in a manner that wins the approval and confidence of the stakeholders in our methods, fairness, honesty and integrity, thereby contributing to the economic and social well-being of all.

## 4. OBJECTIVES

To provide for institution of provident funds, pension fund and deposit linked insurance fund for employees in factories and establishments.

## 5. ACTIVITIES, PERFORMANCE INDICATORS, TARGETS, TIMELINES & OUTCOMES

| Sl No. | Objective | Activity | Performance Indicator | Unit | Target | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Allotment of Universal Account Number (UAN) to EPF members** | To all active members | Generation of UAN. | % of active members allotted UAN | 100% | 15-10.2014 |
| | | To all non-active members | Generation of UAN. | % of non- active members allotted UAN | 30% | 31.03.2015 |
| 2. | **Cleaning and updating Member records.** | Filling in data gaps and correcting errors in member records. | Contributing members with updated records. | % of contributing members with updated records. | 95% | 30.09.2014 |
| 3. | **Cleaning and Updating establishment records.** | Filling in data gaps and correcting errors in establishment records. | Establishments with updated records. | % of actionable establishments with updated records | 100% | 30.06.2014 |
| 4. | **Facilitating on-line submission of** | Monitoring of exempted | Exempted establishment | % of establishments | 100% | 30.06.2014 |

के. के. जालान, भा.प्र.से.
K. K. JALAN, I.A.S.
केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
Central P. F. Commissioner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **statutory returns by exempted establishments.** | establishments | s filing statutory returns on-line. | filing returns on-line | | |
| 5. | **Recovery of due interest and damages from defaulting establishments.** | **Issue of notices for levy of damages and penal interest.** | Notices issued in cases of reported defaults. | % of defaulting establishments to which notices have been issued. | 100% | 30.06.2014 |
| 6. | **Implementing electronic payment systems in EPFO** | **Payments of all benefits to members electronically.** | Remit member benefits electronically to all claimants. | % of members receiving payments electronically. | 100% | 30.09.2014 |

## 6. INNOVATIONS PROPOSED FOR IMPLEMETATION DURING THE PERIOD OF AGREEMENT

The innovation being undertaken in EPFO may broadly be classified in the following three categories as proposed by the Ministry.

**a) Delivery of same goods & service:**

*I* ***Improving Pension Delivery system:*** The pension delivery system is proposed to be improved by re-engineering of existing pension settlement process, wherein the number of dealing hands who are involved in the process of settlement of pension cases is to be reviewed and reduced. The movement of the physical documents from one dealing hand to another dealing hand often spanning more than one office is to be reviewed and if found suitable to be reduced. It is expected that reengineering of the pension settlement process will simplify the process of settlement of pensionary claims and thereby improve the level of service being provided by EPFO.

*II* ***Digitization Pension data:*** It is expected that digitization of pension data will simplify the process of reference to the Pension Payment Order (PPO) which, as of now, needs to be referred at the time of mutating pensionary benefits from surviving spouse to children and other beneficiaries.

**b) Delivery of more goods & service:**

*I* ***Recovery of due interest and damages from defaulting establishments:*** Due to computerization of receipt accounting, it is now possible to intimate the establishment in time about the likely interest and damages payable by them. Interest and damage is payable up to the date on which challan is subsequently deposited by the establishment. Therefore, in-time information to the establishment will reduce the likely interest and damage payable by them and therefore will reduce the cost of compliance on the employer.

*II* ***Implementing electronic payment system in EPFO:*** By introducing online electronic payment through payment gateway will enable the establishments maintaining their accounts with banks other than State Bank of India (SBI) to make payment without physically going to the counter of the SBI, which will reduce the cost of resources in terms of time and man power and therefore, shall reduce the cost of compliance to the establishments.

*III* ***Payment of all benefits to the members electronically:*** Electronic payment to all members even for those who have claim below ₹ one lac through CCPAP (Corporate Cheques Payable at Par) shall reduce the time taken for payment and will also improve accuracy of the payment. Further, it will pre-empt chances of pilferage of the cheques in transition, therefore, will be an additional benefit to the beneficiary.

के. के. जालान, भा.प्र.से.
K. K. JALAN, I.A.S.
केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
Central P. F. Commissioner

**C Identification of new needs:**

***I Allotment of Universal Account No. to EPF members:*** The need for allotment of Universal Account No. (UAN) has been felt by all stake holders for long time. Not only the facility will introduce seamless portability in beneficiary account but will also enable the services related detail to be compiled centrally on a seamless basis. The service related details are crucial factors on which the pensionary benefit of an employee is determined. As on date, compilation of service data is the major bottlenecks in timely settlement of pension claims.

***II Facilitating online registration of the establishments with EPFO:*** The employers have often raised the demand for allotment of EPF No. on real time basis which will facilitate them to comply the provisions of EPF & MP Act, 1952. Introducing online allotment of PF code to the establishment will fulfill their long standing demand.

## 7. CHALLENGES IDENTIFIED AND SOLUTIONS PROPOSED

| Risk | Probable solutions | Timelines |
|---|---|---|
| **Facilitating e-payment of contributions by establishments from any bank account into EPFO Accounts.** | Option to establishments to e-pay statutory remittances from any bank account. | 31.08.2014 |
| **Facilitating seamless transfer of member accounts on job/location change.** | Facilitating e-transfer of funds and member service history on job/ location change. | 31-08-2014 |
| **Improving Pension delivery systems** | Re-engineering of Pension settlement process. | 31.12.2014 |
| | Digitization of pension data | 30.11.2014 |
| **Strengthening ECR system** | Launch of ECR version II. Digitizing statutory paper returns. | 30.11.2014 |

## 8. PERIOD OF AGREEMENT

This MOU will be effective when signed by both parties, upto the end of the Financial Year 2014-15, i.e. upto 31/03/2015. This MOU may be amended at any time by the mutual written consent of the Parties, if there is a variation in the targets during the Financial Year.

IN WITNESS whereof, the Parties hereto have caused this MOU to be signed on (Date) between the Responsibility Centre and the Ministry at (Venue).

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ORGANISATION

**(K.K. JALAN)**
**CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER**

DATE 23rd May 2014

VENUE New Delhi

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNEMNT OF INDIA, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

**(ARUN KUMAR SINHA)**
**ADDITIONAL SECRETARY**

ARUN KUMAR SINHA
Additional Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt. of India, New Delhi

DATE 23 May 2014

VENUE New Delhi

# भारत सरकार
# श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
# तथा
# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
# सहमति बोध ज्ञापन

## 1. दल

यह दस्तावेज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसके पश्चात् उत्तरदायित्व केन्द्र के रूप में संदर्भित तथा भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (इसके पश्चात् मंत्रालय के रूप में संदर्भित) के बीच उत्तरदायित्व केन्द्र की गतिविधियों को लागू करने संबंधी समझौते का विस्तृत ब्यौरा देता है। उत्तरदायित्व केन्द्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। उत्तरदायित्व केन्द्र भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 में स्थित है।

## 2. दृष्टि

सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धति के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप विश्व स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले संगठन के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित करना।

## 3. ध्येय

सार्वजनिक रूप से संचालित वृद्धावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रम की पहुंच एवं गुणवत्ता का प्रसार, अनुपालन एवं लाभ प्रदान करने के एकरूप एवं निरंतर उन्नतिशील मानदंडों के माध्यम से इस रूप में करना है जिससे स्टेकहोल्डरों की स्वीकृति एवं विश्वास को हमारी प्रणाली, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के प्रति जीता जा सके जिससे हम सभी के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में भागीदार बनें।

## 4. उद्देश्य

फैक्टीरियों तथा स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रदान करना।

## 5. गतिविधियों, निष्पादन सूचक, लक्ष्य, समय-सीमाएं तथा नतीजे

| क्र.सं. | उद्देश्य | गतिविधि | निष्पादन सूचना | इकाई | लक्ष्य | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क.भ.नि. सदस्यों को यूनीवर्सल खाता संख्या आबंटित करना | सभी सक्रिय सदस्यों को | यू.ए.एन. बनाना | सक्रिय सदस्यों का % जिन्हें यू.ए.एन. आबंटिट किया गया है । | 100% | 15.10.2014 |
| | | सभी निष्क्रिय सदस्यों को | यू.ए.एन. बनाना | निष्क्रिय सदस्यों का % जिन्हें यू.ए.एन. आबंटित किया गया है । | 30% | 31.03.2015 |
| 2. | सदस्य रिकार्ड को दुरूस्त तथा अद्यतन करना | डाटा गैप भरना तथा सदस्य रिकार्ड में त्रुटियां दूर करना | अंशदान कर रहे सदस्य जिनका रिकार्ड अद्यतन है । | अंशदान कर रहे सदस्यों का % जिनका रिकार्ड अद्यतन है । | 95% | 30.09.2014 |
| 3. | स्थापना रिकार्ड को दुरूस्त तथा अद्यतन करना | डाटा गैप भरना तथा सदस्य रिकार्ड में त्रुटियां दूर करना | अद्यतन रिकार्ड सहित स्थापनाएं | सक्रिय स्थापनाओं का % जिनका रिकार्ड अद्यतन है । | 100% | 30.06.2014 |
| 4. | छूटप्राप्त स्थापनाओं द्वारा सांविधिक रिटर्न ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा | छूट प्राप्त स्थापनाओं की मॉनीटरिंग | ऑन-लाईन सांविधिक रिटर्न प्रस्तुत कर रही स्थापनाएं | ऑन-लाईन सांविधिक रिटर्न प्रस्तुत कर रही स्थापनाओं का % | 100% | 30.06.2014 |
| 5. | चूककर्त्ता स्थापनाओं से देय ब्याज एवं नुकसानी की वसूली । | नुकसानी एवं दांडिक ब्याज लगाने के लिए नोटिस जारी करना । | रिपोर्ट की गई चूक के मामलों में नोटिस जारी किए गए । | जिन चूककर्त्ता स्थापनाओं को नोटिस जारी किए गए उनका % | 100% | 30.06.2014 |
| 6. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इलैक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र का कार्यान्वयन । | सदस्यों को सभी लाभों का भुगतान इलैक्ट्रॉनिक तरीके से करना । | सभी दावाकर्त्ताओं को सदस्य लाभों का प्रेषण इलैक्ट्रॉनिक तरीके से करना । | इलैक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान प्राप्त करने वाले सदस्यों का % | 100% | 30.09.2014 |

6. **समझौते की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित नवाचार (परिवर्तन)**

मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किए जाने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा ।

**क) पहले की भांति सामान एवं सेवा प्रदान करना :**

*I* **पेंशन प्रदान करने के तंत्र में सुधार करना** : पेंशन प्रदान करने संबंधी तंत्र में वर्तमान पेंशन निपटान प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग द्वारा सुधार किया जाएगा, जिसमें पेंशन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या की समीक्षा की जाएगी तथा उसमें कमी की जाएगी । भौतिक रूप से दस्तावेज़ों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जिनमें अक्सर एक से अधिक कार्यालय भी सम्मिलित होते हैं, की समीक्षा की जाएगी तथा यदि उपयुक्त पाया गया तो इसे कम किया जाएगा । यह आशा की जाती है कि पेंशन निपटान प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग से पेंशन दावों के निपटान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी तथा इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के स्तर में भी सुधार होगा ।

*II* **पेंशन डाटा का डिजिटाइज़ेशन** : ऐसी आशा की जाती है कि पेंशन डाटा के डिजिटाइज़ेशन से पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) के संदर्भ की प्रक्रिया सरल हो जाएगी जो कि, अभी तक जीवित पति/पत्नी से संतानों एवं अन्य लाभार्थियों को पेंशन लाभों को परिवर्तित करते समय जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ती थी ।

**ख) और अधिक सामान एवं सेवा प्रदान करना :**

*I* **चूककर्त्ता स्थापनाओं से देय ब्याज एवं नुकसानी की वसूली** : प्राप्ति लेखों के कम्प्यूटरीकरण के कारण, स्थापना को उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज एवं नुकसानी के बारे में समय पर सूचित करना अब संभव है । ब्याज एवं नुकसानी उस तिथि तक देय है जिस तिथि को स्थापना द्वारा चालान जमा किया गया है । अत: स्थापना को समय पर दी गई सूचना से उनके द्वारा दिए जाने वाले संभावित ब्याज एवं नुकसानी में कमी आएगी और इससे नियोक्ता पर पड़ने वाली अनुपालन लागत में भी कमी आएगी ।

*II* **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इलैक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र का कार्यान्वयन** : भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक भुगतान की शुरूआत करने से उन स्थापनाओं को जिनके खाते भारतीय स्टेट बैंक से इतर अन्य बैंकों में हैं, उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के काउंटर पर जाए बिना ही भुगतान करने की सुविधा होगी, जिससे समय एवं मानव शक्ति के संदर्भ में संसाधनों की लागत कम होगी और अत: इससे स्थापनाओं की अनुपालन लागत में कमी आएगी ।

*III* **सदस्यों को सभी लाभों का इलैक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान** : सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक तरीके से भुगतान यहां तक कि उन सभी को भी सी.सी.पी.ए.पी. (corporate cheques payable at par) द्वारा भुगतान जिनके दावे एक लाख रूपए से कम हैं, करने से भुगतान में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा इससे भुगतान की सटीकता में भी सुधार होगा । साथ ही, लेन-देन प्रक्रिया में पूर्व

**ग) नई आवश्यकताओं की पहचान करना :**

**I कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को यूनिवर्सल खाता संख्या आबंटित करना :** सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा लंबे समय से यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । इस सुविधा से न सिर्फ लाभप्राप्तकर्ता के खाते में असीमित पोर्टेबिलिटि आएगी बल्कि बिना किसी रूकावट के केन्द्रीकृत रूप से सेवा संबंधी ब्यौरे का समेकन भी संभव हो सकेगा । सेवा संबंधी विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जिसके अनुसार कर्मचारी के पेंशन लाभों की गणना की जाती है । आज तक, पेंशन दावों के समय पर निपटान के लिए सेवा डाटा का समेकन करना प्रमुख रूकावट है ।

**II कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास स्थापनाओं के ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा :** नियोक्ता अक्सर वास्तविक समय के आधार पर क.भ.नि. संख्या के आबंटन की मांग उठाते हैं जिससे उन्हें क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुपालन में सुविधा मिल सके । स्थापना को भविष्य निधि कोड के ऑनलाईन आबंटन से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की जा सकेगी ।

## 7. पहचानी गई चुनौतियां तथा प्रस्तावित समाधान

| **जोखिम** | **संभावित समाधान** | **समय सीमा** |
|---|---|---|
| स्थापनाओं द्वारा क.भ.नि. के खातों में किसी भी बैंक खाते से अंशदान के ई-भुगतान की सुविधा | स्थापनाओं को किसी भी बैंक खाते में सांविधिक प्रेषण के ई-भुगतान का विकल्प | 31.08.2014 |
| नौकरी / स्थान बदलने पर सदस्य के खाते के बिना रूकावट अंतरण की सुविधा | नौकरी / स्थान बदलने पर निधि एवं सदस्य के सेवा विवरण के ई-अंतरण की सुविधा | 31.08.2014 |
| पेंशन भुगतान प्रणाली में सुधार | पेंशन निपटान प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग | 31.12.2014 |
| | पेंशन डाटा का डिजिटाईज़ेशन | 30.11.2014 |
| ई.सी.आर. प्रणाली को मजबूत बनाना | ई.सी.आर. वर्जन-।। का शुभारंभ । सांविधिक दस्तावेजी रिटर्न को डिजिटाईज़ करना | 30.11.2014 |

**8. करार की अवधि**

यह सहमति ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति अर्थात् 31.03.2015 तक प्रभावी होगा । वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्यों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति द्वारा किसी भी समय सहमति ज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है ।

दायित्व केन्द्र तथा मंत्रालय (स्थान) के मध्य (दिनांक) को हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन ।

क.भ.नि.सं. के लिए
तथा उसकी ओर के
हस्ताक्षरित

ह०/-

**(के.के. जालान)**
**केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त**

दिनांक : 23 मई, 2014
स्थान: नई दिल्ली

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए
तथा उसकी ओर के
हस्ताक्षरित

ह०/-

**(अरूण कुमार सिन्हा)**
**अपर सचिव**

दिनांक : 23 मई, 2014
स्थान : नई दिल्ली